भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड–3 उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 86 (आर.ई.–2013)/2009–2014
नई दिल्ली, दिनांक 02 जुलाई, 2014

विषयः प्याज के लिए निर्यात नीति।

सा.आ.(अ.) विदेश व्यापार नीति, 2009–14 के पैरा 1.3 के साथ पठित, यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा प्याज के निर्यात से संबंधित दिनांक 12. 3.2014 की अधिसूचना सं. 73 (आरई–2013)/2009–14 के साथ पठित दिनांक 17.6.2014 की अधिसूचना सं0 82 (आरई–2013)/2009–14 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. दिनांक 17.6.2014 की अधिसूचना सं. 82 (आरई–2013)/2009–14 के संशोधन पैरा 2 को अब निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

"निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 7 की क्रम सं. 51 एवं 52 में मद विवरण के लिए प्याज का निर्यात 500 यूएस डॉलर प्रति मीट्रिक टन पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) अथवा विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय–समय पर यथा अधिसूचित मूल्य के तहत अनुमत होगा।"

3. इस अधिसूचना का प्रभावः

उपरोक्त यथा वर्णित सभी किस्मों की प्याज का निर्यात 500 यूएस डालर प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के अधीन होगा।

(प्रवीर कुमार)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ईमेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 01/91/180/922/एएम08/पीसी III/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)